

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट-III

जयपुर दिनांक 26 APR 2017

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम-2010 (संशोधित), जोधपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम-2013, ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम-2013, मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2013 (जयपुर, जोधपुर व भिवाड़ी को छोड़कर अन्य 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों के लिये) एवं मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम-2010 (एक लाख से कम आबादी के शहरों के लिये) की तालिका-4 के बिन्दु सं. (व) पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशन को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-


संशोधित प्रावधान :-

- (व) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन/सी.एन.जी./एल.पी.जी. स्टेशन की स्थापना हेतु मानदण्ड :-
1. पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशन हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल -
 - क. पेट्रोल पम्प (दोपहिया व चौपहिया वाहनो हेतु) - 20 मीटर चौड़ाई x 20 मीटर गहराई
 - ख. फिलिंग स्टेशन (केवल दोपहिया/तीन पहिया वाहनो हेतु) - 18 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई
 - ग. फिलिंग स्टेशन मय सर्विस स्टेशन - 36 मीटर चौड़ाई x 30 मीटर गहराई
 - घ. सी.एन.जी./एल.पी.जी. स्टेशन - 36 मीटर चौड़ाई x 30 मीटर गहराई

नोट :- उपरोक्त न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन/सी.एन.जी./एल.पी.जी. स्टेशन प्रस्तावित होने पर अतिरिक्त भूमि पर इन गतिविधियों से संबंधित गतिविधि ही अनुज्ञेय होगी, कोई ऐसी गतिविधि जिस पर ज्वलनशील सामग्री का उपयोग होता हो अनुज्ञेय नहीं की जायेगी।
 2. पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन/सी.एन.जी./एल.पी.जी. स्टेशन मास्टर प्लान में औद्योगिक/मिश्रित/व्यवसायिक/थोक व्यापार/वेयर हाउसिंग गोदाम/हाईवे डवलपमेन्ट कॉरीडोर (विभागीय आदेश क्र. प.10(44)नविवि/3/2009पार्ट-II दिनांक 20.04.2017 में उल्लेखित मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने पर) तथा परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय होंगे, इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय की किसी भी योजना में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित भूखण्ड पर अनुमत उपयोग होगा।
 3. प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होना आवश्यक है।
 4. पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन/सी.एन.जी./एल.पी.जी. स्टेशन के अन्य तकनीकी मानदण्ड -
 - क. अधिकतम आच्छादित क्षेत्र - 20 प्रतिशत
 - ख. एफ.ए.आर - 0.2
 - ग. ऊंचाई - 7 मीटर
 - घ. सैटबैक - अग्र सैटबैक न्यूनतम 6 मीटर, पार्श्व व पृष्ठ सैटबैक न्यूनतम 3 मीटर
 5. प्रस्तावित भूखण्ड की निकटतम इन्टरसेक्शन से न्यूनतम दूरी निम्नानुसार आवश्यक होगी :-

- क. प्रस्तावित भूखण्ड के (इन्टरसेक्टिंग सड़क की ओर के) बाहरी किनारे से 12 मीटर व उससे अधिक 30 मीटर तक चौड़ी सड़क के इन्टरसेक्टिंग बिन्दु तक दूरी - 50 मीटर
- ख. प्रस्तावित भूखण्ड के (इन्टरसेक्टिंग सड़क की ओर के) बाहरी किनारे से 30 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क के इन्टरसेक्टिंग बिन्दु तक दूरी - 100 मीटर
- नोट :- यदि प्रस्तावित भूखण्ड ऐसी सड़क पर स्थित है, जिस पर मार्ग विभाजक (Median) निर्मित है, उस पर भूखण्ड के दूसरी ओर टी-जंक्शन किसी भी चौड़ाई की सड़क का होने पर इन्टरसेक्शन की दूरी का प्रावधान लागू नहीं होगा। इन्टरसेक्शन की दूरी, इन्टरसेक्टिंग सड़क के बाहरी किनारे से प्रस्तावित स्थल के प्लॉट बाउन्ड्री तक होगी (From the edge of the plot boundary to the edge of road boundary)।
6. पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन से स्वीकृति आवश्यक होगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर निगोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक